Article Date	Headline / Summary	Publication	Edition	Page No.
8 Apr 2024	CIS will explain the complexities of insurance policy in simple language	Amar Ujala (Hindi)	Chandigarh Lucknow	12

बीमा पॉलिसी की जटिलताओं को सरल भाषा में समझाएगी सीआईएस

सुविधा से बेहतर होगा अनुभव, आसान होगी बीमा खरीद की प्रक्रिया

कालीचरण

बीमा हमें अनिश्चितताओं के बीच वित्तीय सुरक्षा का नेटवर्क प्रदान करता है। हम जैसे-जैसे जीवन में उतार-चढ़ाव से गुजरते हैं, बीमा कवरेज हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाने में मददगार साबित होता है। यह बात अलग है कि कभी-कभी बीमा पॉलिसी में लिखित इसके कानूनी शब्दों, जटिल नियमों और शर्तों को समझना मुश्किल होता है। इन जटिलताओं को समझने के लिए समय और प्रयास की जरूरत पड़ती है। विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा के मामले में। यहीं पर कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट (सीआईएस) काम आती है, जो इन जटिलताओं को आसानी से समझने में पॉलिसीधारकों की मदद करती है।

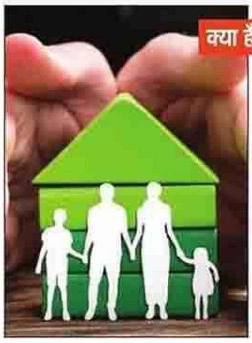

क्या है कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने नए सर्कुलर में सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि पॉलिसीधारकों की सुविधा के लिए उन्हें कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट अनिवार्य रूप से जारी करनी होगी।

- इसका मकसद बेहद सरल और स्पष्ट शब्दों में पॉलिसीधारकों को पॉलिसी के बेसिक फीचर्स के बारे में बताना है।

मिलेंगी ये सभी जानकारियां

सीआईएस पॉलिसी टाइप, कवरेज, वेटिंग अवधि, लिमिट व सब-लिमिट, कवर नहीं होने वाली बीमारियों की जानकारी, फ्री लुक कैंसिलेशन और क्लेम लेने के तरीकों की आसान व स्पष्ट भाषा में जानकारी देगी।

- इसके अलावा, शिकायत दर्ज करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पॉलिसी नवीनीकरण, नेटवर्क अस्पताल की जानकारी और पोर्टेबिलिटी के बारे में भी डिटेल जानकारी मुहैया कराएगी।

जिम्मेदारियां भी बताएगी

संशोधित सीआईएस को स्पष्ट, सरल और एक समान फॉर्मेट में पॉलिसी से जुड़े सभी नीतिगत पहलुओं को कवर करने के लिए बेहतर बनाया गया है। यह एक यूजर फ्रेंडली दस्तावेज है। यह बीमा कंपनी व पॉलिसीधारकों को उनकी जिम्मेदारियां भी बताएगी।

- ***ग्राहक की जिम्मेदारी है कि वह पॉलिसी खरीदते समय पुरानी बीमारियों के बारे में बीमा कंपनी को सही जानकारी दें। ऐसा नहीं करने पर क्लेम खारिज हो सकता है।***

ग्राहकों व बीमाकर्ताओं के बीच बढ़ेगी पारदर्शिता

सीआईएस पॉलिसी खरीदते समय पॉलिसीधारकों के सामने आने वाली जटिलताओं को कम करने में मदद करेगी। साथ ही, उनके अनुभव को भी बढ़ाएगी, जिससे बीमा खरीदने की प्रक्रिया अधिक सरल हो जाएगी। खास बात है कि सीआईएस पॉलिसीधारकों व बीमाकर्ताओं के बीच संचार पुल के रूप में काम कर पारदर्शिता बढ़ाएगी। -**भास्कर नेरूरकर, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन टीम प्रमुख बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस**